

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *476
जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

केन्द्र और राज्यों के बीच जल का बंटवारा

***476. श्री अमरा राम:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) यमुना के जल में राजस्थान के हिस्से के संबंध में रिपोर्ट कब तक तैयार होने की संभावना है और इसमें केन्द्र, राजस्थान और हरियाणा का कितना-कितना हिस्सा होने की उम्मीद है;
- (ख) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार और हरियाणा तथा राजस्थान की राज्य सरकारों के बीच कोई समझौता हुआ है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी. आर. पाटील)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘केन्द्र और राज्यों के बीच जल का बंटवारा’ विषय पर पूछे गए प्रश्न के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *476 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): हरियाणा और राजस्थान के मध्य भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से जल के अंतरण संबंधी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संयुक्त रूप से तैयार करने के लिए अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार और आयुक्त एवं सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग), हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 17.02.2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता ज्ञापन का विवरण निम्नलिखित है :

(i) इस परियोजना के प्रथम चरण के तहत हथिनीकुंड में दिल्ली के जल के हिस्से सहित हरियाणा द्वारा पश्चिमी यमुना नहर की पूर्ण क्षमता (24,000 क्यूसेक) का उपयोग करने के पश्चात चुरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों के लिए पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं हेतु भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से 577 एमसीएम तक जल के अंतरण के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकार द्वारा जुलाई से अक्टूबर के दौरान संयुक्त रूप से एक डीपीआर तैयार कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस डीपीआर को चार माह की अवधि में तैयार कर अंतिम रूप देने के लिए दोनों राज्य आपस में पूर्ण सहयोग करेंगे। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) / ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

(ii) ऊपरी यमुना बेसिन में तीन चिन्हित भंडारण, नामतः- रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ के निर्माण के पश्चात शेष अवधि के दौरान हथिनीकुंड में राजस्थान के हिस्से के जल को यथासंभव पेय और सिंचाई उद्देश्यों के लिए उक्त प्रणाली के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा।
